विद्युत सेवा आयोग

(उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०)
बी–17, जे–रोड, सेक्टर–सी,
महानगर विस्तार, लखनऊ–226006

(विज्ञापन सं० 7/विसेआ/2015/लेखा)

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत लेखा संवर्ग में विभिन्न वितरण निगमों/ट्रान्सको/केस्को में समूह 'ग' के अन्तर्गत अराजपत्रित कार्मिक **"सहायक लेखाकार"** हेतु, निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु **निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों** से आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। **श्रेणीवार रिक्तियों** का विवरण निम्नवत् है :

पदकोड एवं पदनाम	अनारक्षित श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	अनुसूचित जाति श्रेणी	अनुसूचित जनजाति श्रेणी
पद कोड–21 : सहायक लेखाकार (POST CODE-21: ASSISTANT ACCOUNTANT)	207	119	64	05

❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।

❖ उपरोक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग(GENERAL CATEGORY) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

1. **वेतनमानः–**
वेतन बैण्ड–1 में वेतनमान रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 3000 (अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार होगें)

2. **अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें:–**
आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास पदवार निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।

1	पद कोड – 21 सहायक लेखाकार (ASSISTANT ACCOUNTANT)	**(क)**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय(केन्द्र या राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित) से वाणिज्य में स्नातक डिग्री। **(ख)** DOEACC (वर्तमान संस्था NIELIT) द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर 'O' लेवल/ 'A' लेवल/'B' लेवल अथवा 'C' लेवल प्रमाण पत्र ।

3. **आयु :–**
दिनांक 01.07.2015 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

4. **अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट :**
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की, विकलांग अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षो की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी।
नोटः–आवेदित श्रेणी में यथा अनुमन्य आयु सीमा में छूट का लाभ जोड़ते हुए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. **आरक्षण :–**
(क) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। **वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, सामान्य वर्ग**(GENERAL CATEGORY) **के अन्तर्गत ही आवेदन करें।**
(ख)अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।
(ग)भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत, विकलांग अभ्यर्थियों को 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। एक से अधिक क्षैतिज आरक्षण श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो अनुमन्य होगी।
(घ) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

विद्युत सेवा आयोग
सचिव
उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमि०

6. **आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः**

आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 700/- प्रति आवेदन
2.	विकलांग अभ्यर्थी (विकलांगता प्रतिशत 40 एवं अधिक) द्वारा आवेदन शुल्क देय नहीं है परन्तु आवेदन प्रोसेसिंग चार्जेज देय होंगे।	Rs. 10/- प्रति आवेदन
3.	उत्तर प्रदेश के सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर), भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु।	Rs. 1000/- प्रति आवेदन
4	अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/Payment Gateway अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।**

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

7. **अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण** :– लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से, कुल रिक्तिओं के दोगुने अभ्यर्थियों को श्रेष्ठतानुसार शार्टलिस्ट करते हुये **"सहायक लेखाकार"** पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों से जाँच हेतु लखनऊ आमंत्रित किया जायेगा। जिसकी सूचना शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ई–मेल पर दी जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. **अनापत्ति प्रमाण पत्र** : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

9. **चरित्र** : अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

10. **वैवाहिक स्थिति** : ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी जो विधि विरूद्ध एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

11. **चयन प्रक्रिया** :

अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नही हो जायेगा।चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर, श्रेणीवार रिक्तियों की सख्यानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी।लिखित परीक्षा की अवधि एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :–

पद का नाम	लिखित परीक्षा का विवरण
सहायक लेखाकार	• 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न–200 अंक(लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं।) • (प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर 0. 25 अंक अतिरिक्त काटे जायेगें।) • लिखित परीक्षा अवधि–3 घंटे

12. **परीक्षा स्थानः**–

परीक्षा एक से अधिक शहरों में सम्पादित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

13. **आवेदन कैसे करें:** कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. '07/VSA/2015/ACCOUNTS' FOR THE POST OF ASSISTANT ACCOUNTANT" पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली–भॉति समझें एवं "FILL APPLICATION FORM" पर क्लिक कर आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

विद्युत सेवा आयोग
सचिव
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमि0

14. **प्रवेश पत्र** : लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई–मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

15. **अन्य विशेष सूचना :**

(1)विकलाँग श्रेणी के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र में विकलॉगता प्रतिशत अवश्य अंकित होना चाहिए।

(2)केन्द्र /राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

(3)सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना के अनुरुप न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4)अभिलेखों की जॉच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता हैं।

(5)आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk.accounts715@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

16. **पारदर्शिता:–** परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:–

लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से 02 दिन के अन्दर, निर्गत की जायेगी तथा निर्गत की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

18. **महत्वपूर्ण तिथियाँ :**

क्रम०सं०	विवरण	अवधि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने की तिथिवार अवधि।	09.11.2015 से 08.12.2015
2	संभावित परीक्षा माह	दिसम्बर 2015

सचिव